

पत्र क्रमांक 61-4479/सू0अ0/2015/133254

दिनांक 24.03.2015
25

प्रति,

श्री सिद्धिकी इमरान
जूना बाजार,
आजिम कॉलोनी,
औरंगाबाद-431001
(महाराष्ट्र)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी देने बावत्।


संदर्भ:-सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदनकर्ता का पत्र दिनांक 22.01.2015 के संदर्भ में।

महोदय,
आपके द्वारा चाही गयी जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी प्रेषित किये जा रहे हैं:-

प्रश्न क्रमांक	उत्तर
1	आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी जानकारी/शिकायत पश्चिम क्षेत्रीय समिति (रा.अ.शि.प.) भोपाल से संबंधित नहीं है। आवेदनकर्ता के पत्र में चाही गयी जानकारी/शिकायत के संदर्भ में संबंधित विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था या शिक्षा विभाग, राज्य सरकार महाराष्ट्र से संपर्क कर सकते हैं।

यदि उक्त प्रकरण में आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी, (क्षेत्रीय निदेशक) प.क्षे.स. (रा.अ.शि.प.) के समक्ष एक प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।



भवदीय

(परविंदर सिंह)
जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपि-

- 1) जनसूचना अधिकारी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, हंस भवन, खण्ड-II, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002-आपका पत्र क्रमांक 109-149/2015/NCTE/RTI/A107355 दिनांक 02.03.2015-सूचनार्थ।